संख्या :-78/2022/662 /12-5-2022-सा0-01/2019

प्रेषक,

डॉ0 देवेश चतुर्वेदी,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन

सेवा में,

1. समस्त मंडलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. कृषि निदेशक, प्रदेश।
4. समस्त उप कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश।

कृषि अनु0-5 लखनऊ : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2022

विषय : **प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पी.एम. किसान) योजना के अंतर्गत कृषकों की समस्याओं के निस्तारण हेतु कॉल सेंटर एवं हेल्प डेस्क की स्थापना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

आप अवगत है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के अंतर्गत लाभार्थी कृषकों को रुपए 2000/- की तीन समान किस्तों में रुपए 6000/- प्रति वर्ष प्रदान किए जाने का प्राविधान है। शासनादेश संख्या 42/2022/14-भा0स0/12-5-2022-सा0-01/2019 दिनांक 30 जून, 2022 के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों की भूलेख का विवरण पीएम किसान पोर्टल पर दर्ज करने के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए थे। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप पात्र किसानों को माननीय प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा 12वीं किस्त की धनराशि शीघ्र निर्गत की जाएगी। यह संभव है कि जिला प्रशासन के प्रयासों के बाद भी कतिपय कृषकों के भूलेख अंकित न हो पाए हों। उक्त के अतिरिक्त आधार इनवैलिड तथा नाम मिस्मैच के भी कतिपय प्रकरण लम्बित चल रहे हैं, जिनमें डाटा सुधार आवश्यक है। उक्त कृषकों की समस्याओं के समाधान हेतु स्थानीय स्तर पर (विकास खंड एवं जनपद स्तर पर) पर हेल्प डेस्क एवं प्रदेश मुख्यालय स्तर पर हेल्प डेस्क/कॉल सेण्टर स्थापित किया जायेगा। यह हेल्प डेस्क दिनांक 17.10.2022 से क्रियान्वित हो जाए।

2. प्रदेश मुख्यालय स्तर पर 10 सीटर कॉल सेण्टर कृषि भवन में स्थापित किया जायेगा। इस कॉल सेण्टर हेतु एक टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया जायेगा जिसका कृषकों के मध्य प्रचार प्रसार मुख्यालय एवं जनपद स्तर से किया जायेगा। इस कॉल सेण्टर हेतु प्रत्येक पाली हेतु 10 प्राविधिक सहायक वर्ग सी तैनात किये जायेंगे, जो कॉल सेण्टर के फ़ोन कॉल को रिसीव करेंगे। कॉल सेण्टर हेतु विकसित सॉफ्टवेयर पर किसानों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कृषक का पता, पीएम किसान आईडी/आधार नंबर, ईकेवाईसी एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भुलेख अंकन सम्बन्धित विस्तृत डाटाबेस के साथ किसानों की कॉल को रिसीव कर उनके समस्याओं/प्रश्नों तथा कॉल सेण्टर से बताये गए निवारण के सम्पूर्ण विवरण को अंकित किया जाएगा, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन के नाध्यम से उप कृषि निदेशक के लॉगिन पर उपलब्ध होगा। जिसका निराकरण सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक के द्वारा कृषकों से सम्पर्क स्थापित कर उनके अभिलेखों को अपडेट कराते हुए किया जायेगा।

3. जनपद स्तर पर उप कृषि निदेशक कार्यालय में एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा। इस हेल्प डेस्क हेतु दो अलग अलग लैंडलाइन/मोबाइल नंबर निर्धारित किया जायेगा। इस हेल्प डेस्क हेतु जनपद स्तर पर प्रत्येक पाली हेतु दो प्राविधिक सहायक वर्ग सी तैनात किये जायेंगे, जो हेल्प डेस्क के फ़ोन कॉल को रिसीव करेंगे। जनपद स्तरीय हेल्प डेस्क द्वारा लैपटॉप/डेस्कटॉप से जनपद के डाटा बेस से कृषकों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कृषक का पता, पी एम किसान आईडी/आधार नंबर, ईकेवाईसी एवं भुलेख अंकन सम्बन्धित विस्तृत डाटाबेस के साथ किसानों की कॉल एवं उनके द्वारा बताये गए समस्याओं/प्रश्नों तथा हेल्प डेस्क द्वारा बताये गए निवारण के उपाय का विवरण अंकित किया जायेगा। जिसका निराकरण हेतु सम्बन्धित जनपद के उप कृषि निदेशक कृषकों से सम्पर्क स्थापित कर उनके अभिलेखों को अपडेट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4. विकास खंड स्तर पर राजकीय कृषि बीज भण्डार पर हेल्प डेस्क स्थापित किया जायेगा। इस हेल्प डेस्क हेतु विकास खंड स्तर पर प्रत्येक पाली हेतु एक प्राविधिक सहायक वर्ग सी तैनात किये जायेंगे। विकास खंड स्तरीय हेल्प डेस्क पर उपस्थित होकर अपनी समस्या बताने वाले कृषकों के विवरण को जनपद के डाटा बेस से कृषकों के नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, कृषक का पता, पी एम किसान आईडी/आधार नंबर, ईकेवाईसी एवं भुलेख अंकन सम्बन्धित विस्तृत डाटाबेस के साथ किसानों द्वारा बताये गए समस्याओं/प्रश्नों तथा हेल्प डेस्क द्वारा बताये गए निवारण के उपाय का विवरण डेस्कटॉप/लेपटोप में एक्सेल सीट में अंकित किया जायेगा। जिसकी सूचना प्रतिदिन उप कृषि निदेशक के मेल पर भेजी जाएगी जिसे उप कृषि निदेशक द्वारा निराकरण हेतु कृषकों के अभिलेखों को अपडेट करते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

5. मुख्यालय स्तर पर संचालित कॉल सेण्टर एवं जनपद तथा विकास खंड स्तर पर संचालित हेल्प डेस्क पर कृषकों से प्राप्त समस्याओं का विवरण इस शासनादेश के साथ संलग्न है।

6. मुख्यालय, जनपद एवं विकास खंड पर स्थापित कॉल सेण्टर/हेल्प डेस्क प्रातः 8:00 बजे से सायं 8:00 बजे तक प्रातः 08:00 से अपराह्न 2:00 तक प्रथम पाली एवं अपराह्न 2:00 से 8:00 बजे तक द्वितीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पाली) क्रियाशील रहेंगे। सभी स्थलों पर स्थापित कॉल सेण्टर/हेल्प डेस्क में 2 शिफ्टों में कार्मिक तैनात किये जायेंगे। तैनात कार्मिकों का योजना के सम्बन्ध में कृषकों की संभावित समस्याओं/प्रश्नों के आलोक में समाधान के सम्बन्ध में प्रशिक्षित कराया जायेगा जिससे कृषकों के समस्याओं का त्वरित निदान हेतु उन्हें अवगत कराया जा सके।

7. उक्त के अतिरिक्त सी0एम0 हेल्पलाइन, आई0जी0आर0एस0 पोर्टल के माध्यम से भी कृषक पी0एम0 किसान से सम्बंधित शिकायत कर सकते हैं। अत: इन शिकायतों का भी उनसे मोबाइल पर वार्ता कर विवरण प्राप्त कर समस्या ज्ञात कर निराकरण कराया जाएगा।

यह सुनिश्चित किया जाए कि समस्त प्राप्त प्रकरणों का गुण-दोष के आधार पर समाधान हो, आवश्यकतानुसार डाटा सुधार किया जाए जिससे समस्त पात्र कृषकों को आगामी किस्तें समय से प्राप्त हो सके।

डॉ देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन।
4. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
7. समस्त संयुक्त कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
डॉ देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या - 662/12-5-2022, दिनांक 14.10.2022 का प्रारूप

क्रम संख्या	पीएम आईडी	आधार नंबर	कृषक का नाम	पिता का नाम	तहसील	विकास खंड	राजस्व ग्राम	मोबाइल नंबर	खाता संख्या	बैंक का नाम	आई. एफ. एस. कोड	भूलेख अंकन			eKYC हुई या नहीं	कृषक द्वारा बताई गई समस्या	समस्या निवारण के उपाय
												भूलेख अंकन हुआ अथवा नहीं	यदि नहीं तो भूमि से सम्बन्धित ग्राम	खसरा नंबर			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

http://sh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।